

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2 / 290-22714 / जोन-जयपुर / 2024 / 39

दिनांक-19/11/2024

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिको को विदेश यात्रा जाने की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नांकित शर्तो पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र.स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का स्थान	यात्रा का विवरण
1.	भागवंती म.स्वा.दर्शिका	प्रा.स्वा.केन्द्र सिंगोद- खुर्द गोविन्दगढ, जयपुर	दुबई-संयुक्त अरब अमीरात	दि. 20.05.2023 से दि 30.06.2023 तक 42 दिवस

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत कराकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2 / 290-22714 / जोन-जयपुर / 2024 / 39

दिनांक-19/11/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक / नियंत्रक अधिकारी।
2. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश / रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
5290990

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation: Director  
Date :18-01-2024 11:17:27